कॉनकॉर – निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी (सीएसआर एंड एस) पॉलिसी

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं व्यावहारिकता:

1.1 कॉनकॉर की यह पॉलिसी कॉनकॉर के दर्शन को समेटे हुए है जो कि निगमित नागरिक के नाते निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में समाज के कल्याण और स्थाई विकास के लिए उपयोगी गतिविधियों को शुरू करने के लिए बनाई गई हैं। कॉनकॉर की यह पॉलिसी अपने सामाजिक दायित्वों और स्थायित्व की अनुपालना की ओर है तथा इसका शीर्षक है- **कॉनकॉर – सामाजिक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी (सीएसआर एंड एस) पॉलिसी** । संक्षिप्त मे इसे सीएसआर पॉलिसी नाम दिया गया है। सीएसआर पॉलिसी का कोई एक अथवा सभी प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के अंर्तगत निर्मित नियमों, डीपीई दिशानिर्देशों तथा अन्य विनियमों के अनुसार होंगे। इसके साथ सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए इन कानूनो/ दिशार्निदेशों/विनियमों मे हुए बदलाव/ संशोधन/ सुधार इन पर लागू होंगें।

1.2 कॉनकॉर सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की अपनी अभिलक्ष्यों के अनुसार सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अपने आंतरिक और बाहरी स्टैक होल्डरों के लिए व्यावसाय में सक्रीय भुमिका निभाने के लिए प्रतिबद्व है। कंपनी का सीएसआर क्षेत्र इसके मिशन, उद्वेश्यों, व्यावसायिक लक्ष्यों, योजनाओ और कार्यनीतियों के अनुसार है।

1.3 कॉनकॉर की यह पॉलिसी कॉनकॉर द्वारा शुरू की गई उन सभी गतिविधियों पर लागू होती है जो समाज के विभिन्न वर्गो विशेषत: वंचित वर्ग, सुविधाहीन,विकलांगों, समूहो और संस्थाओं आदि के लिए चलाई गई है। अत: कॉनकॉर की सभी गतिविधियां कॉनकॉर की सीएसआर पॉलिसी के अनुसार ही शुरू की जाएंगी। कंपनी की सीएसआर गतिविधियां में कंपनी के सामान्य व्यावसायिक कार्य, कंपनी के कर्मचारियो और उनके परिवार के हितों से संबधित गतिविधियां सम्मिलित नही की की जाएंगी।

1.4 कंपनी की सीएसआर पॉलिसी, कंपनी की सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से स्थाई विकास को इस ढंग से उन्नत बनाया जाए कि जिससे व्यवसाय एवं समाज दोनो के लिए लाभकारी बने ऐसा मानना है कि सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पहलों का स्वरूप एक ही है तथा दोनो का उद्वेश्य सस्टेनेबिलिटी विकास होने के कारण ये एक दूसरे के प्रतिपूरक है। अपने

सस्टेनेबिलिटी के भाग के रूप में कॉनकॉर अपने मुख्य धारा की गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को महत्व देगी तथा यह सूनिश्चित करेगी कि इससे उनके आंतरिक परिचालन और प्रकिया में अक्षय उर्जा के स्रोत को बढावा मिले तथा सप्लाई चेन को हरित बनाने के लिए अनुपयोगी सामग्री को कम करने/ दोबारा प्रयोग करने / रि-साइकिल करने,भू –जल स्तर उठाने , जल की सुरक्षा/संचय/,पर्यावरण को अनुकूल बनानें, कार्बन उत्र्सजन में कमी करना इसकी गतिविधियां है। कर्मचारियों मुख्यत: महिलाओं,विकलांगो और समाज के वंचित वर्ग हेतु कल्याणकारी कदम उठाना भी इन सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों मे शामिल है।

2. विजन एवं मिशन

2.1 कॉनकॉर का मिशन अपने व्यावसायिक सहभागियों और स्टैकहोल्डरो के साथ मिलकर कॉनकॉर को उत्कृष्ट गुणवता की कंपनी बनाना है। अपने व्यावसायिक सहभागियों के सक्रिय सहयोग से तथा लाभप्रदता एवं वृद्वि सुनिश्चित करके अपने ग्राहकों को अनुक्रियाशील,लागत प्रभावी, दक्ष और विश्वसनीय संभारतत्र साधन उपलब्ध कराकर हम अवश्य ही ऐसा कर पाएंगें। हम अपने ग्राहको की पहली पसंद बने रहने के लिए प्रयासरत है। हम अपने सामाजिक दायित्वो के प्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्व है और हम पर जो विश्वास रखा गया है, उस पर खरे उतरेंगें।

2.2 कॉनकॉर के मिशन के अनुरूप, इसके सीएसआर पहलों का लक्ष्य भी सहयोगियों मे कॉनकॉर की ख्याति अर्जित करना है। एक जिम्मेदार निगमित कंपनी की सकारात्मक सामाजिक छवि में वृद्वि करने में सीएसआर गतिविधियां सहायक है। कॉनकॉर अपने व्यावसायिक आचार में सर्वोतम मानको का अनुसरण करेगी तथा स्टैकहोल्डरो के प्रति अपनी प्रतिबद्वता के लिए पारदर्शी रहेंगी और मितव्यता,सामाजिकता,पर्यावरणीय अनुकूलता अपनाकर व्यावसाय करेगी। कर्मचारी,निवेशक,शेयरधारक,ग्राहक,व्यावसायिक सहयोगी, क्लांइटस, सिविल सोसायटी ग्रुप,सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, और पर्यावरण और अंत मे पूरा समाज भी स्टैकहोल्डर शब्द में सम्मिलित है।

2.3 कॉनकॉर की सीएसआर पहले सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो की बहुत जरूरी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। कॉनकॉर की सीएसआर के लिए चिन्हित राशि के प्राजेक्ट भारत मे ही चलाएं जाते है और प्राथमिकता उन स्थानीय क्षेत्रों को दी जाती है जो कॉनकॉर के परिचालन क्षेत्र के आसपास होते है और विशेषत: उन राज्यो मे जहां कॉनकॉर ढाचागत

विस्तार कर रहा होता है। कुछ समय के पश्चात स्थानीय जनता के जीवन स्तर में वृद्वि एवं आर्थिक संपन्नता जैसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की दिशा में यह हमारा प्रयास है। इन स्थानों पर सीएसआर गतिविधियां चलाएं जाने से संसाधनों का मोबलाइजेशन एवं नियमित मॉनिटिरिंग होती है तथा आसपास के लोगों ,पर्यावरण तथा अन्य स्टैकहोल्डरों से जुड़ने का अवसर भी मिलता है।

2.4 कॉनकॉर की सीएसआर पॉलिसी में लोकल एरिया का अर्थ है, कंपनी की इकाई/टर्मिनल से 200 कि.मी. तक का क्षेत्र शामिल है। । लोकल एरिया को प्राथमिकता देने के बाद, कंपनी देश के किसी भी अन्य स्थान पर सीएसआर गतिविधियां चला सकती है। लोकल एरिया और बाहरी एरिया में सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च का निर्देशात्मक अनुपात क्रमश :80 और 20 प्रतिशत का है।

3. सीएसआर कार्यों का क्षेत्र

कॉनकॉर अपने स्टैकहोल्डरों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों मे कार्यकलाप करेगा जिनमे समाज और पर्यावरण स्थायित्व के समग्र विकास के प्रोजेक्ट पर अधिक जोर दिया जाएगा। कॉनकॉर की सीएसआर गतिविधियों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा:-

(i) भूख,गरीबी और कुपोषण के उन्मूलन, हैल्थ केयर और साफ सफाई को बढावा देते हुए पीने के शुद्व पानी की उपलब्धता सहित केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोश में सहयोग देना।

(ii) स्पेशल एजुकेशन और रोजगारपरक व्यावसायिक कौशल की शिक्षा का बढावा देना जिनमे मुख्यत: बच्चे,महिलाएं,बुजर्ग,विकलांगों के जीवन स्तर में वृद्वि के प्रोजेक्ट है।

(iii) लिंग समानता को बढावा देना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घर एवं होस्टल का निर्माण, वृद्वाआश्रम, डे केयर सैंटर, सहित इसी तरह की दूसरी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराना। सामाजिक और आथिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार वर्गों के लिए असमानता के अवसरों को कम करना ।

(iv) पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करना, परिस्थितिक संतुलन, वनस्पति और जीव सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिटटी,हवा और पानी की गुणवत्ता का अनुरक्षण सहित गंगा नदी के कायाकल्प हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ गंगा कोश में सहयोग।

(v) ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलो के जीर्णोद्वार सहित राष्ट्रीय विरासत,कला एवं संस्कृति की सुरक्षा, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, पारंपरिक कला एवं शिल्प कला को बढावा एवं उसका विकास ।

(vi) सशस्त्र बलों के वयोवृद्व सदस्यों, युद्व में शहीदो की विधवाओं और उनके आश्रितों के हितो लिए उपाय करना।

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त खेल,पैरा ओलंपिक खेल को बढावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोश अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़े वर्गेा, अल्पयंख्यको,महिलाओं के सामाजिक- आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी भी कोश में सहयोग देना।

(ix) केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी ज्ञान सहेजने वाली शैक्षिक संस्था को सहयोग अथवा धनराशि प्रदान करना।

(x) ग्रामीण विकास की परियोजनाऐं

(xi) दूसरी परियोजनाऐं जो कानूनन एवं सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुमति प्राप्त हो।

4. योजना एवं कार्यप्रणाली

4.1 पूरे देश में स्थित कॉनकॉर के 8 क्षेत्रीय कार्यालय है। इन क्षेत्रों के अपने व्यवसाय क्षेत्र, अवसंरचना एवं नेबरहुड है। तालमेल बैठाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु स्टैकहोल्डरों से आवश्यक जानकारी लेकर केंद्रीयकृत तरीके ये सीएसआर परियोजनाओं को संकल्पित करें।

4.2 कॉनकॉर अपनी सीएसआर गतिविधियों में इस तरह से तालमेल रखेगी कि जिससे राज्य सरकारों,जिला प्रशासन,स्थानीय प्रशासन की पहलों को सुविधाएं प्राप्त होने के साथ-साथ केंद्र सरकार के विभागों/संस्थाओं,स्वंय सहायता समूहों को सह-निर्माण महत्व के माध्यम से स्थानीय लोगों को लैंगिक सवेंदनशीलता, कौशल वृद्वि,उद्यमशीलता का विकास, रोजगार सृजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकें। हांलाकि कॉनकॉर एक सीमा तक दोहरे प्रयासों से बचेगा। कॉनकॉर की सीएसआर पॉलिसी कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों के अनुरूप तथा सार्वजनिक उ़द्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और समय समय पर संशोधित सरकारी नियमो एवं विनियमों , लागू कानूनों के अनुरूप बनाई गई है। अन्य सीपीएसई जिनकी मापन और अधिक से अधिक सामाजिक प्रभाव है, कॉनकॉर उनके संशाधनों को अपनाकर संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए इस दिशा में भी कार्य कर रहा है। भविष्य में जरूरत के अनुसार लघु,मध्यम और दीर्घ कालीन अवधि के सीएसआर प्रोजेक्ट करने की योजना बनाई जाएंगी।

5. निगमित संरचना

5.1 कंपनी के सीएसआर एजेंडे को मूर्त रूप देने और चलाई गई गतिविधियों के प्रबंधन हेतु यहां 2 टायर सिस्टम है। इस सिस्टम में, टीयर—I (अपेक्स कमेटी) 3 सदस्यों की बोर्ड लेवल कमेटी होती है। टीयर-II कमेटी (एक्जिकेटिव कमेटी) बोर्ड लेवल से नीचे की होती है। टायर- I कमेटी का नामांकन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमे एक अनिवार्य स्वतंत्र निदेशक सहित 3 निदेशक होंगें। टीयर –II कमेटी और इसके सहायक कार्यपालकों का नोमिनेशन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करेंगें। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसके मुखिया के रूप मे तथा 2 अन्य अधिकारी इस कमेटी मे सम्मिलित होगें। टीयर –II कमेटी के दफतरी कार्यो में सहायता के लिए एक प्रबंधकीय स्तर का अधिकारी होगा। टीयर –II कमेटी यदि चाहे तो किसी विशेष प्रोजेक्ट/गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा बाहर से विशेषज्ञ का चुनाव कर सकती है। सीएसआर गतिविधियों को मूर्त रूप देने के लिए एक या एक से अधिक सर्मपित कार्यपालक होंगे।

5.2 टीयर –I कमेटी की अनुशंसा पर कंपनी की सीएसआर पॉलिसी का अनुमोदन निदेशक मंडल देगा। कंपनी का बोर्ड ये सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियों में सम्मिलित किए गए प्रोजेक्ट , कंपनी की सीएसआर पॉलिसी के अनुरूप हो।

5.3 सीएसआर पॉलसी को तैयार करना, होने वाले खर्च की अनुशंसा, सीएसआर पॉलिसी की समय-समय पर मॉनिटरिंग करके इसकी अनुशंसा, टीयर –I कमेटी निदेशक मंडल को देगी। यह कमेटी सीएसआर पॉलिसी के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग और कंपनी की दूसरी संबंधित गतिविधियों की देखरेख करेगी। कंपनी के सीएसआर एजंडे को अपेक्षित दिशा देने के लिए उपयुक्त पॉलिसी और कार्यनीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करेगी।

5.4 कंपनी की सीएसआर पहलों में समन्वय की सुविधा, सीएसआर प्रोजेक्ट के डाक्यूमैंटेशन तथा वार्षिक बजट को तैयार करने मे टीयर –II कमेटी सहायता करेगी। कंपनी के अंदर तथा बाहर सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में पहल और देखरेख करेगी। सहायक कंपनियों और अपने फील्ड स्तर के कार्यपालको से मदद लेकर सीएसआर प्रोजेक्टो की प्रोग्रेस और कार्यान्वयन की मानिटरिंग का कार्य टीयर –II कमेटी करेगी तथा जरूरत के अनुसार उसी ढंग से उचित दिशानिर्देश टीयर –II कमेटी द्वारा दिएं जाएंगें।

6. बज़ट व्यवस्था :

6.1 वर्ष के दौरान सीएसआर पहलों पर विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले का खर्च विवरण देते हुए टीयर–I कमेटी सीएसआर वार्षिक बजट की अनुशंसा करेगी तथा इसे कंपनी के निदेशक मंडल को इसके अनुमोदन हेतु भेजेगी।

6.2 सीएसआर कार्यक्रमों के सार्थक एवं स्थायित्व कार्यान्वयन के माध्यम से इस पॉलिसी के सीएसआर उद्वेश्यों को प्राप्त करने के लिए, कॉनकॉर लगातार 3 गत वित्तीय वर्षो के अपने शुद्व औसत लाभ का 2 प्रतिशत प्रत्येक वित्त वर्ष में सीएसआर कार्यो पर खर्च करने के लिए आबंटन करेगी । कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्सन 135 के अतंर्गत शुद्व औसत लाभ की गणना की जाएगी। शुद्व औसत लाभ की प्रतिशतता कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान एवं अन्य लागू विनियमों अथवा सरकार के दिशानिर्देशानुसार पर निर्भर करती और कभी भी परिवर्तित हो सकती है। सीएसआर प्रोजेक्ट मे जो अधिशेष प्राप्त होगा वो कॉनकॉर के व्यावसायिक लाभ के रूप में एकत्रित नही होगा।

6.3 सीएसआर गतिविधियों पर हुए खर्च का 2 प्रतिशत तक की धनराशि अपने कार्मिको के क्षमता निर्माण हेतु एक वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कॉनकॉर द्वारा की जा सकती है।

6.4 निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, सीएसआर बज़टरी हैड में खर्च की जाने वाली राशि में 20 प्रतिशत तक की वृद्वि की मंजूरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दे सकते है तथा 20 से ज्यादा और 50 प्रतिशत तक की वृद्वि की मंजूरी टीयर–I कमेटी देगी बशर्ते कि यह वृद्वि कंपनी के समग्र सीएसआर बजट के अंदर हो। सीएसआर बजटरी हैड में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्वि अथवा कंपनी के समग्र सीएसआर वार्षिक बजट में वृद्वि होने पर निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

6.5 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या सरकार द्वारा लागू दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट है कि अगर किसी वर्ष विशेष में सीएसआर आवंटन खर्च नहीं होता है या अप्रयुक्त होता है तो उसका कंपनी नियम के तहत खुलासा या निपटारा किया जाएगा। किसी वर्ष विशेष में सीएसआर की राशि खर्च नहीं हुई है तो वह राशि अगले साल उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अग्रेषित की जाएगी जिनके लिए वह राशि आवंटित की गई थी।

7. मूल्यांकन और परियोजना का अनुमोदन

7.1 खंड 3 में परिभाषित क्षेत्रों के अंतर्गत सभी सीएसआर पहले निगमित कार्यालय, क्षेत्रों या एजेंसियों जो परियोजना को कार्यान्वित कर रही है को भेजा जाएगा, निम्न का मूल्यांकन और विशेष जांच टीयर-II कमेटी द्वारा होगी:

(क) व्यापक उद्देश्यों की अनुरूपता के लिए कंपनी की सीएसआर नीति के पहल क्षेत्र डीपीई द्वारा अनुमोदित रेल मंत्रालय के साथ कंपनी द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित होगा।

(ख) मूल्यांकन और आधारभूत सर्वेक्षण टीयर-II कमेटी के सदस्यों द्वारा अथवा/एवं कॉनकॉर क्षेत्र के अधिकारियों अथवा/एवं इसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों अथवा/एवं एक स्वतंत्र ख्याति प्राप्त तृतीय पक्ष अथवा/एवं एजेंसी जो की परियोजना को कार्यान्वित कर रही है के द्वारा किया जाएगा पर इसकी जांच कंपनी के अधिकारी करेंगे।

(ग) सभी तरह के पर्याप्त दस्तावेजों की उपलब्धता जिससे की कार्य करने वाली एजेंसी की पहचान सिद्ध हो सकें। उपक्रम में इसी तरह के कार्यक्रम व परियोजनाओं को करने का तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड साथ ही, इनके कामकाज के सबूत के माध्यम से एजेंसियों को क्रियान्वित करना, प्रमाणित वित्तीय

बयान, सिफारिश पत्र/पुरस्कार अगर कोई है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इसी तरह की परियोजनाएं/सरकारी निकायों और अन्य प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्त हो।

(घ) कॉनकॉर सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत अन्य कंपनियों का सहयोग कर सकता है। सामाजिक और पर्यावरण या अन्य परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों, अर्ध सरकारी अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ङ) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी अन्य विनियमों/दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

7.2 अलग-अलग प्रस्ताव की उपयुक्तता और मूल्यांकन के बाद, टीयर-II कमेटी की सिफारिश, निष्पादन, वितरण आदि के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाएगा नीचे उल्लेखित है:-

(क) निदेशक मंडल से स्वीकृत सीएसआर बजट हैड के अंतर्गत 3.0 करोड़ रुपये तक की राशि के प्रस्तावों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(ख) निदेशक मंडल से स्वीकृत सीएसआर बजट शीर्ष के अंतर्गत 3.0 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के सभी प्रस्तावों को सीएसआर की टीयर-I कमेटी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(ग) वे सभी प्रस्ताव जो अनुमोदित सीएसआर बजट हैड में सम्मिलित नहीं है, उनके लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

8. पहलों की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा :

8.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में टीयर-I समिति परियोजनाओं की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट, सूचना तथा आवश्यक दिशा-निर्देश निदेशक मंडल को प्रस्तुत करेंगे तथा टीयर-II कमेटी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित एपेक्स समिति को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8.2 टीयर-II कमेटी आवश्यकता अनुसार कभी भी किसी भी सीएसआर कार्य के प्रभावी आकलन अध्ययन की व्यवस्था स्वयं अथवा स्वतंत्र पेशेवर तृतीय पक्ष/पेशेवर संस्था अथवा कार्य करने वाली संस्था जिससे भी /जिस ढंग से भी करवा सकती है। जब क्षेत्रीय कार्यालय/ईकाई इसमें शामिल होगी तो वे

प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की मॉनिटिरिंग करेंगी तथा लाभार्थियों से प्रतिपुष्टि लेंगी। प्रोजेक्ट समाप्ती और उसके आकार के आधार पर प्रोजेक्ट की मानिटरिंग/मूल्यांकन कंपनी करेंगी। प्रत्येक वर्ष के सीएसआर बजट का 25 प्रतिशत या 5 करोड़ से अधिक या जो भी ज्यादा हो का प्रत्येक सीएसआर गतिविधि या प्रोजेक्ट का प्रभावी आकलन अध्ययन बाहरी कार्यान्वयन संस्था/दूसरी संस्था द्वारा किया जाएगा।

8.3 बोर्ड अपनी रिपोर्ट में विवरण के रूप में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित करेगा जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 एवं लागू नियम मुख्यत: होंगे। बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर नीति की सामग्री को शामिल करेगा और सीएसआर समिति की संरचना को प्रस्तुत करेगा। सीएसआर नीति की सामग्री को बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सकता है तथा इसे विशेष रूप से कॉनकॉर वेबसाइट पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, कॉनकॉर किसी भी संविधि एवं लागू सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के रूप में अनुपालन हेतु प्रकट एवं कार्यान्वित कर सकता है।

8.4 टीयर-II कमेटी प्रोजेक्टों की समीक्षा करेगी और यदि जरूरत हुई तो प्रोजेक्ट बंद करने अथवा बीच में छोड देने की अनुशंसा टीयर-I कमेटी को की जाएगी। चल रहे प्रोजेक्टों की समीक्षा में उनके समय अवधि बढाने/अतिरिक्त फ़ड की मंजूरी, मैरीट के आधार पर टीयर-I कमेटी के अनुमोदन हेतु अनुशंसा कर सकती है।

9. कार्यान्वयन एवं निष्पादन एजेंसी/भागीदार

9.1 सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन, पीएसयू, निजी कंपनियों, पंचायतों, ट्रस्टों, स्वयं सहायक समूह, महिला मंडल, व्यावसायिक परामर्श संगठन, स्कोप, एवं इन एजेंसियों आदि द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। यथा संभव कॉनकॉर जनशक्ति केवल निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए।

9.2 कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कंपनी की टियर-II कमेटी परियोजनाओं की पहचान, कार्यान्वयन की व्यवस्था तथा इसके मॉनिटरिंग का कार्य करेंगी। यह नियमित रूप से विभिन्न परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करेगी परियोजनाओं से संबंधित कार्यो हेतु मार्गदर्शन भी करेंगी

9.3 परियोजनाओं की पहचान करते हुए, बाहरी एजेंसी की पहचान की जाएगी जिसके द्वारा इस कार्य का कार्यान्वयन किया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के मामले में, निम्नलिखित मापदंडों को सुनिश्चित किया जाए –

क) इसका भारत में एक कार्यालय / पता हो।

ख) यह क़ानूनी रूप से एक पंजीकृत संस्था हो ।

ग) इनके पास पैन नम्बर हो तथा इनके लेखा खाते नियमित रूप से लेखा परीक्षित होते हो।

घ) इसका पूर्ववर्त जॉच योग्य// पुष्टि के अधीन हो ।

ड) परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का कम से कम तीन साल के रिकॉर्ड/दस्तावेज़ हो।

9.4 सीएसआर नीति से संबंधित उचित दस्तावेज जिसमें क्रियान्वित करने वाले पार्टनर, परियोजना का विवरण, व्यय आदि हो, का रखरखाव नियमित आधार पर हो एवं लेखा परीक्षा या मॉनिटरिंग हेतु जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध हो।

9.5 परियोजना के अनुमोदन के पश्चचात, एमओयू और मॉडल करार के अनुसार क्रियान्वित / कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के साथ एक करार या समझौता ज्ञापन किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन और कार्यान्वयन संबंधी अनुसूची निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें कार्यक्रम या परियोजनाओं की मॉनिटरिंग भी शामिल होगी।

सीएसआर पहल के मामले में 5 लाख रुपये से कम के योगदान में, लाभार्थी संगठन को दो प्रतियों में नियम और शर्तों के साथ अवार्ड पत्र जारी किया जाएगा तथा दो प्रतियों में नियमों और शर्तों की स्वीकृति का पत्र लिया जाएगा।

10. सामान्य

10.1 सीएसआर नीति से संबंधित प्रावधानों पर किसी प्रकार के संदेह होने पर तथा किसी ऐसे मामले में जो इसके अंर्तगत नहीं हो, तो ऐसे में टीयर -1 कमेटी का निर्णय अंतिम होगा ।

10.2 कंपनी के पास सीएसआर नीति में निहित प्रावधानों में संशोधित, रद्द, जोड़ने या कॉनकॉर के निदेशक मंडल तथा टीयर-I कमेटी की सिफारिशों और अनुमोदन के साथ संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है|

****